

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(323)लेखा/डीएलबी/मांगरोल/2016/ 15348

दिनांक 27/12/2016

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर पालिका, मांगरोल को मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के क्रम में राशि रूपये 500.00 लाख का विशेष अनुदान ।

नगर पालिका, मांगरोल को मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के क्रम में "बाण गंगा नदी के दोनों किनारों की सुरक्षा दीवार बनाने तथा नदी के डाऊन स्ट्रीम में नदी की रिसेक्शनिंग एण्ड रिग्रेडिंग का कार्य राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरे पाँच करोड़ मात्र) का हस्तान्तरण नगर पालिका के निजी निक्षेप खाते में किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(03)- विशेष अनुदान

[00]

12 - सहायता अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

आवंटित राशि का उपयोग बजट घोषणा के अनुरूप निर्धारित कार्यों पर नियमानुसार किया जावे । स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर अधिक व्यय नगरपालिका द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वहन किया जावेगा । इस हेतु पृथक से लेखांकन सुनिश्चित किया जावे । राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों/ राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे ।

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171601185 दिनांक 20.12.2016 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है ।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(323)लेखा/डीएलबी/अन्ता/2016/ 15249-406

दिनांक 27.12.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर ।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर ।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 5 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित नगर पालिका, मांगरोल के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें ।
06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर ।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

दिनांक 27.12.2016

274

क्रमांक : प.4(357)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/201 5/
कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय,
बारा।

(स्वीकृति संख्या 596 /2016-17)

विषय : नगर पालिका, मांगरोल के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक : प.6(ट)(323)लेखा/डीएलबी/मांगरोल/2016/15348-406 दिनांक: 27.12.2016 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार नगर पालिका, मांगरोल के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 500.00 लाख (अक्षरों रूपये पाँच करोड़ मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(03) - विशेष अनुदान

[00]

12 - सहायता अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

राशि रुपये 500.00 लाख

उक्त राशि का उपयोग संबंधित प्रयोजन के लिये ही किया जावे। किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजनार्थ उक्त राशि का व्यय नहीं किया जावे।

भवदीय

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

9/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-] राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, बारा।
06. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मांगरोल।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. System Analyst (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

9
28/12/16